भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4302

मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत में स्टार्टअप्स की स्थिति और स्थायित्व

4302. डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वित्त वर्षों के दौरान देश में स्थापित स्टार्टअप्स की संख्या कितनी है;

(ख) इस अवधि के दौरान वर्तमान में सक्रिय, निष्क्रिय/परोक्ष रूप से चल रहे या बंद हो चुके पंजीकृत स्टार्टअप्स की संख्या कितनी है तथा इस संबंध में बिहार राज्य के विशिष्ट आँकड़े क्या हैं;

(ग) इन स्टार्टअप्स के बंद होने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार भारत में स्टार्टअप्स की स्थायित्व और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): 30 जून 2025 तक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा कुल 1,80,683 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें से 1,38,031 को विगत पांच वित्तीय वर्षों अर्थात 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान मान्यता दी गई है। विशेष रूप से बिहार राज्य में, 30 जून 2025 तक डीपीआईआईटी द्वारा कुल 3,766 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें से 3,049 कंपनियों को विगत पांच वित्तीय वर्षों अर्थात 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान मान्यता दी गई है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 18 जुलाई 2025 को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 6,019 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप बंद (अर्थात, विघटित /हटाए गए) और 59 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप निष्क्रिय/प्रसुप्त के रूप में

वर्गीकृत हैं। दिए गए आंकड़ों में, विशेष रूप से बिहार राज्य में, 95 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप बंद (अर्थात, विघटित/हटाए गए) के रूप में वर्गीकृत हैं और कोई भी निष्क्रिय/प्रसुप्त के रूप में वर्गीकृत नहीं है।

(ग): स्टार्टअप बंद होने के मामले आम तौर पर व्यवसाय मॉडल की व्यवहार्यता, बाजार की मांगों के साथ अनुरूपता, घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थितियों, विकसित उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति, वित्त पोषण आकर्षित करने की क्षमता और अन्य व्यवसाय-विशिष्ट विचारों जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं।

(घ): स्टार्टअप के स्थायित्व और विकास को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने स्टार्टअप के लिए कार्य योजना की शुरूआत की है, जिसमें देश में वाईब्रेंट स्टार्टअप ईकोसिस्टम बनाने के लिए परिकल्पित स्कीमें और प्रोत्साहन शामिल हैं। इस कार्य योजना में "सरलीकरण और सहायता", "वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन" तथा "उद्योग-अकादमिक साझेदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में विस्तृत 19 कार्य मदें शामिल हैं।

प्रमुख स्कीमें नामत:, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस), स्टार्टअप्स को उनके व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह सहित आवधिक कार्यों और कार्यक्रमों को भी लागू करती है, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ जैसी ईकोसिस्टम-आधारित पहलों को भी प्रोत्साहित करती है और उनकी सहायता करती है जो हितधारकों को नेटवर्क बनाने और सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से एक उर्जावान मंच के रूप में कार्य करते हैं। बाजार पहुंच में सुधार और सार्वजनिक खरीद को सक्षम करने की पहल स्टार्टअप्स को अपने व्यवसायों में वृद्धि करने और स्केलिंग-अप करने में सहायता प्रदान करती है। स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल और भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म संसाधनों तक आसान पहुंच और स्टार्टअप ईकोसिस्टम सहयोग को सक्षम बनाते हैं। इन उपायों को बल प्रदान करने के लिए विनियामक सुधार और ईकोसिस्टम विकास के अन्य आयोजन और कार्यक्रम किए जाते हैं।

*****